

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा प्रणाली के भीतर मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए 15 दिशानिर्देशों का एक व्यापक सेट जारी किया है, जिसमें छात्रों की भलाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ये दिशानिर्देश, भारत भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों - सार्वजनिक और निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों पर लागू होते हैं - का उद्देश्य एक सहायक और समावेशी वातावरण बनाना है।

राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के साथ-साथ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित उमईडी मसौदा दिशानिर्देशों और मनोदर्पण जैसी पहलों से आकर्षित करते हुए, निर्देश मानसिक स्वास्थ्य नीतियों, पेशेवर सहायता और निवारक उपायों को एकीकृत करने पर केंद्रित हैं। अकादमिक दबाव, उत्पीड़न और आत्म-नुकसान जोखिमों को कम करना।

दिशानिर्देश समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण, माता-पिता को शामिल करने और पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के महत्व को भी रेखांकित करते हैं।

जयपुर, कोटा, सीकर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों सहित कोचिंग हब पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जहां छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में पलायन करते हैं।

विस्तृत दिशा-निर्देश

आई। सभी शैक्षणिक संस्थान एक समान मानसिक स्वास्थ्य नीति को अपनाएंगे और लागू करेंगे, जो उमेड मसौदा दिशानिर्देशों, मनोदर्पण पहल और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति से संकेत प्राप्त करेंगे। इस नीति की वार्षिक समीक्षा और अद्यतन की जाएगी और संस्थागत वेबसाइटों और संस्थानों के नोटिस बोर्डों पर सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाया जाएगा।

II। 100 या उससे अधिक नामांकित छात्रों वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को बच्चों और किशोर मानसिक स्वास्थ्य में प्रदर्शन योग्य प्रशिक्षण के साथ कम से कम एक योग्य काउंसलर, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति/संयोजन करना होगा। कम छात्रों वाले संस्थान बाहरी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ औपचारिक रेफरल संबंध स्थापित करेंगे।

III। सभी शैक्षणिक संस्थान छात्र-से काउंसलर के लिए इष्टतम अनुपात सुनिश्चित करेंगे। समर्पित सलाहकारों या परामर्शदाताओं को छात्रों के छोटे बैचों, विशेष रूप से परीक्षा अवधि और शैक्षणिक संक्रमणों के दौरान, सुसंगत, अनौपचारिक और गोपनीय सहायता प्रदान करने के लिए सौंपा जाएगा।

IV। सभी शैक्षणिक संस्थान, विशेष रूप से कोचिंग संस्थान/केंद्र, जहां तक संभव हो, अकादमिक प्रदर्शन, सार्वजनिक शर्म या छात्रों की क्षमताओं से असमान शैक्षणिक लक्ष्यों के असाइनमेंट के आधार पर बैच पृथक्करण में शामिल होने से बचें।

सभी शैक्षणिक संस्थान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, स्थानीय अस्पतालों और आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन के तत्काल संदर्भ के लिए लिखित प्रोटोकॉल स्थापित करेंगे। टेली-मानस और अन्य राष्ट्रीय सेवाओं सहित आत्मघाती हेल्पलाइन नंबर हॉस्टल, कक्षाओं, सामान्य क्षेत्रों और वेबसाइटों पर बड़े और सुपाठ्य प्रिंट में प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।

VII। सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वर्ष में कम से कम दो बार अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जो प्रमाणित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा, चेतावनी संकेतों की पहचान, आत्म-हानि के प्रति प्रतिक्रिया और रेफरल तंत्र पर आयोजित किया जाएगा।

सातवीं। सभी शैक्षणिक संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी शिक्षण, गैर-शिक्षण और प्रशासनिक कर्मचारियों को संवेदनशील, समावेशी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से कमजोर और हाशिए की पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ जुड़ने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए। इसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), एलजीबीटीक्यू समुदायों, विकलांग छात्र, घर से बाहर देखभाल करने वाले छात्र और शोक, आघात या पहले से प्रभावित छात्र शामिल होंगे। आत्महत्या के प्रयास, या हाशिए पर रहने के प्रतिच्छेद का रूप।

आठवीं। सभी शैक्षणिक संस्थान जाति, वर्ग, लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता, धर्म या जातीयता के आधार पर यौन उत्पीड़न, उत्पीड़न, रैगिंग और धमकाने वाली घटनाओं की रिपोर्टिंग, निवारण और रोकथाम के लिए मजबूत, गोपनीय और सुलभ तंत्र स्थापित करेंगे। ऐसी प्रत्येक संस्था एक आंतरिक समिति या अभिहित प्राधिकारी का गठन करेगी जो शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने और पीड़ितों को मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए सशक्त है। संस्थान शिकायतकर्ताओं या व्हिसल ब्लोअरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए जीरो टॉलरेंस भी बनाए रखेंगे। ऐसे सभी मामलों में, प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए तत्काल रेफरल सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और छात्र की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में समय पर या पर्याप्त कार्रवाई करने में विफलता, विशेष रूप से जहां इस तरह की उपेक्षा किसी छात्र के आत्म-हानि या आत्महत्या में योगदान देती है, उसे संस्थागत दोषी माना जाएगा, जिससे प्रशासन नियामक और कानूनी परिणामों के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

IX। सभी शैक्षणिक संस्थान नियमित रूप से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर माता-पिता और अभिभावकों के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम (शारीरिक और / या ऑनलाइन) आयोजित करेंगे। यह संस्थान का कर्तव्य होगा कि वह माता-पिता और अभिभावकों को अनुचित शैक्षणिक दबाव से बचने, मनोवैज्ञानिक संकट के संकेतों को पहचानने और सहानुभूतिपूर्वक और सहायक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए संवेदनशील बनाए। इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता, भावनात्मक विनियमन, जीवन कौशल शिक्षा और संस्थागत सहायता सेवाओं के बारे में जागरूकता को छात्र अभिविन्यास कार्यक्रमों और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में एकीकृत किया जाएगा।

एक्स। सभी शैक्षणिक संस्थान गुमनाम रिकॉर्ड बनाए रखेंगे और एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कल्याण हस्तक्षेपों, छात्र संदर्भों, प्रशिक्षण सत्रों और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों की संख्या को इंगित करती है। यह रिपोर्ट संबंधित नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) या अन्यथा संकेत दिया गया हो।

XI। सभी शैक्षणिक संस्थान खेल, कला और व्यक्तित्व विकास पहलों सहित पाठ्येतर गतिविधियों को प्राथमिकता देंगे। शैक्षणिक बोझ को कम करने और परीक्षा स्कोर और रैंक से परे छात्रों के बीच पहचान की व्यापक भावना विकसित करने के लिए समय-समय पर परीक्षा पैटर्न की समीक्षा की जाएगी।

XIII। कोचिंग सेंटर और प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान छात्रों और उनके माता-पिता या अभिभावकों के लिए नियमित, संरचित करियर काउंसलिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। ये सत्र योग्य परामर्शदाताओं द्वारा आयोजित किए जाएंगे और इसका उद्देश्य अवास्तविक शैक्षणिक दबाव को कम करना, विभिन्न शैक्षणिक और पेशेवर मार्गों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और छात्रों को सूचित और रुचि-आधारित करियर निर्णय लेने में सहायता करना है। संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की परामर्श समावेशी, सामाजिक-आर्थिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील हो, और योग्यता या सफलता की संकीर्ण परिभाषाओं को सुदृढ़ न करे।

XIII। हॉस्टल मालिकों, वार्डन और देखभाल करने वालों सहित सभी आवासीय-आधारित शैक्षणिक संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाएंगे कि परिसर उत्पीड़न, बुलिंग, ड्रग्स और अन्य हानिकारक पदार्थों से मुक्त रहें, जिससे सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन और सीखने का वातावरण सुनिश्चित हो सके।

XIV। सभी आवासीय-आधारित संस्थान छेड़छाड़-प्रूफ छत पंखे या समकक्ष सुरक्षा उपकरणों को स्थापित करेंगे, और स्व-हानि के आवेगपूर्ण कृत्यों को रोकने के लिए छतों, बालकनी और अन्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित करेंगे।

XV। जयपुर, कोटा, सीकर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों सहित सभी कोचिंग हब, जहां छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में पलायन करते हैं, उच्च मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और निवारक उपायों को लागू करेंगे। इन क्षेत्रों में, जहां छात्रों की आत्महत्या की असमान रूप से अधिक घटनाएं देखी गई हैं, पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संबंधित प्राधिकरण, अर्थात् शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन, छात्रों और अभिभावकों के लिए नियमित करियर काउंसलिंग, संरचित अकादमिक योजना के माध्यम से अकादमिक दबाव का विनियमन, उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। निरंतर मनोवैज्ञानिक सहायता और छात्र मानसिक कल्याण की रक्षा के लिए निगरानी और जवाबदेही के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना।

दिशा-निर्देशों की पूरक भूमिका

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं पर राष्ट्रीय कार्य बल के चल रहे कार्य का पूरक होना और अधिक व्यापक नीति विकसित होने तक एक अंतरिम सुरक्षात्मक ढांचे के रूप में कार्य करना है।

निष्कर्ष।

सुप्रीम कोर्ट के 15 दिशानिर्देश भारत की शिक्षा प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। नीतियों, पेशेवर समर्थन और निवारक उपायों को अनिवार्य करके, इन निर्देशों का उद्देश्य एक पोषित वातावरण बनाना है जो अकादमिक तनाव को कम करता है और समावेशिता को बढ़ावा देता है। संस्थानों को इन उपायों को लागू करने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए, छात्रों के मानसिक कल्याण की रक्षा के लिए अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।